जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.09.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना महुली पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. राजमन पुत्र रामनरायन निवासी अगया उर्फ सिदाही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- व0उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, का0 राजमंगल यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 82 वाहनों से 85,000रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 82 वाहनों से 85,000रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.09.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण कर लेने, दुष्कर्म करने व धमकी देने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 300/2024 धारा 376, 363, 366, 504, 507 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता सोनू पुत्र बुधिराम उर्फ उदयराज निषाद निवासी ग्राम नकहा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनांक 24.09.2024 को दुल्हापार माझा खड़गपुर मार्ग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर लेने, गाली व धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं बढोत्तरी करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रजनीश राय, हे0का0 सोनू पटेल, का0 धनन्जय कुमार, का0 मेराज अली।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.09.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 791/2023 धारा 363, 366, 504, 506, 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता पंचम पुत्र जवाहिर निवासी ग्राम नकहा थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर को आज दिनांक 24.09.2024 को दुल्हापार माझा खड़गपुर मार्ग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व गाली, धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं बढोत्तरी करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रजनीश राय, हे0का0 सोनू पटेल, का0 धनन्जय कुमार, का0 मेराज अली।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.09.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बखिरा द्वारा कार्यवाही करते हुए गुम हुए बच्चे को बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा आज दिनाँक 24.09.2024 को कार्यवाही करते हुए गुम हुए बच्चे को बरामद कर परजनो को सुपुर्द किया गया।

विदित हो कि आज दिनांक 24.09.2024 को समय करीब 11:00 बजे श्री नजरुल हसन पुत्र मोहम्मद जुबेर निवासी लड़ूवा महुआ थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर द्वारा चौकी बखिरा पर आकर सूचना दिया गया कि उसकी पत्नी की बहन निवासी ग्राम सिककोटवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थ नगर रिश्तेदारी में मेरे घर आई थी, उसकी बच्ची अदीबा पुत्री समसुद्दीन ग्राम शिककोटवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 03 वर्ष घर से टहलते हुए कहीं गायब हो गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी बखिरा *श्री विनोद कुमार यादव* द्वारा मय हमराह कर्मचारीगण के सक्रिय होकर कस्बा में तलाश किया गया एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया तो उक्त बच्ची श्री पप्पू पुत्र श्री राधेश्याम निवासी तुरहा टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के घर के पास मिली जिसको पुलिस द्वारा साथ लेकर सूचनाकर्ता को सूचित किया गया एवं चौकी पर बुलाकर उनकी सुपुर्द की में दी गई। मौके पर पहुंचे बच्चों के परिजनों ने बालक को प्राप्त करते हुए आभार व्यक्त किया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.09.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 03 स्थानों पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 24.09.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 03 स्थानों पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 स्थानों पर 04 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।